

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

यजमान सिंह डा. देवी सिंह

तहसीलदार (सु. विधा. क.)

जाति राजपुर नि. धागडावाला
रह लोकर, पाली

सोपट

किस्म मुकदमा:- राजस्व विविध प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 एल.आर.एक्ट. 1956 मु० न० 11/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ।
01/01/21	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 एल आर एक्ट 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 12/1/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उप, अग्रणी तहसीलदार सोजत उप अग्रणी तहसीलदार सोजत ने जमान प्रार्थना पत्र पेश किया की प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिखाने गरी बहस आवे. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ज. पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 L.R. Act 1956 खरी गरी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बिकर अग्रणी तहसीलदार सोजत अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 L.R. Act पेश कर सरहद मौजा राम घांगडावाला के खान. 429 ख.न. 1/1 रकबा 1.00 हेक्टर, खान. 106 ख.न. 1/2 रकबा 1.00 हेक्टर ख.न. 107 ख.न. 1/3 रकबा 0.93 हेक्टर, खान. 445 ख.न. 1/307 रकबा 1.80 हेक्टर खान. 106 ख.न. 2/383 रकबा 0.36 हेक्टर क्रिम नामी प्रखर की भूमि जो कि प्रार्थीगण की आई हुई स्थित है की उत्तरी ग्राह को लेफ्ट विवाद होने से वेमार्श कर पत्थर गरी का प्रार्थना प्रदान करने की इलाक़ा की है।</p> <p>बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जस्टिस क्रिम की वादग्रह भूमि प्रार्थीगण की खालेपारी कण्डे काइर की भूमि है। इन्त भूमि का उत्तरी दिया की ग्राह को लेफ्ट विवाद है। जितने प्रार्थीगण विभाजन कर बहस पत्थर गरी करवाना चाहे है। जमान गहल में अग्रणी तहसीलदार सोजत ने बहस भूमि का निर्माण करवाये जाने एवं पत्थर गरी करने से कोई अपारि होना स्वीकारा है।</p> <p>पत्रावली का चार प्रकृत सबकोर किया गया। प्रकृत प्रकृत पत्र मय प्रपथ पत्र एवं प्रकृत मय प्रकृत प्रकृत का प्रकृत पत्र कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत पर नोट कर प्रजन दिया गया प्रकृत सरहद मौजा राम घांगडावाला</p>	<p>17/1/21</p>

उप खण्ड अधिकारी खान. 1/1 रकबा 1.00 हे, 1/2 रकबा 1.00 हे खान. 1/3 सोजत (जिला-पाली) राज

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

शुल्का ०.१७०० है, ख.मं. 1/907 शुल्का 1.३० है ख.नं. 2/933
शुल्का ०.३६०० है डिस्ट्रिक्ट वारपी प्रवर्तक ग्रामि का संपन्न इलाक
पक्षकारान् के शीर्षांक करवया जाकर फर्द मोका रिपयटि
प्रतिवेदन न्यायालय हाज में प्रस्तुत कये हेतु तहसीलदार खोजत
को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश :-

अतः प्रथमिण दश प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत चारा 110,
111, 123 अरु राजस्व आधीनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने
से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार खोजत को सरहद
मोका ग्राम घण्टवाल के ख.नं. 1/1 शुल्का 1.०० है, डि.ए. ख.नं.
1/2 शुल्का 1.०० है डिस्ट्रिक्ट वारपी. ख.नं. 1/907 शुल्का 1.३०
है डिस्ट्रिक्ट वारपी. ख.नं. 2/933 शुल्का ०.३६०० है डिस्ट्रिक्ट
वारपी ग्रामि का संपन्न पक्षकारान् मोके पर चैमरिज कर शीर्षांक
करवये जाने एवं मूयाप लगवाकर पत्थर गठी कये हेतु आदेशित
किया जाता है। तहसीलदार खोजत स्वयं के नेतृत्व में सहायित
ग्रुप आ निरीक्षण, धरणी एवं एक अन्य पयवाटी की संयुक्त
टीम का गठन करे एवं आदेश की पतना कर पावना दिगेट
न्यायालय में प्रस्तुत कये। निर्णय की उठि तहसीलदार खोजत
को मोकी बकर वासना मंगवई जावे। पसपली केशल शुमार
केकर नम्बर से कम हो। बाप तक्रमिल काखत दाखिल दफतर
लेख्य प्रकडार जमा हों।

(बोलशाम चौधरी)
उप सचिव आधीनियम
खोजत (जिला-पाली) राब

निर्णय आज दिनांक 12/01/2024 को मेरे हात लिखवाया
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बोलशाम चौधरी)
उप सचिव आधीनियम
खोजत (जिला-पाली) राब